न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़

राकेश कुमार बनाम नाथूराम वगैरह

मु० नं० - 54/2025

3/4/25 पत्रावली में वकील प्रार्थी व प्रत्यर्थी द्वारा शीघ्र उत्तरवाई का पत्र व विड्रो का पत्र पेश करने पर पत्रावली तलब की गई। शीघ्र उत्तरवाई व विड्रो का पत्र की मूल वाद में शामिल किया गया। वकील प्रार्थी व प्रार्थी को विड्रो का पत्र पढ़ कर सुना कर पत्रावली का अवलोकन किया गया। विड्रो का पत्र स्वीकार किया जाकर व्यवहार का पत्र वापस विड्रो करने की अनुमति दी जाती है अतः व्यवहार का पत्र को इसी स्तर पर विड्रो किया जाता है पत्रावली कैलेण्डर शुमार होकर नियत रेकर्ड हो तथा वाद मूर्ति डालिकर फैसल हो।

राकेश

Adv

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ जिला-जयपुर